बिहार सरकार

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर (पटना)

(आपूर्ति शाखा)

(प्रेस–विज्ञप्ति संख्या 01/2017)

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1222, दिनांक 08.03.2017 द्वारा संसूचित माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या 4453/2016 के सन्दर्भ में दिनांक 14.12.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0 2342 दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानों के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान की रिक्तयों का रोस्टर के आधार पर नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए दानापुर अनुमण्डल अन्तर्गत संबंधित पंचायत/वार्ड (नगर क्षेत्र में) में चिन्हित व्यापार स्थल हेतु कुल 201 (दो सौ एक) रिक्त दूकानों की नई नियुक्ति के लिए योग्य आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

विभागीय पत्रांक 1571/खाद्य, दिनांक 28.03.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु नये सिरे से आवेदकों से आवेदन–पत्र प्राप्त किया जाना है। तद्आलोक में दानापुर अनुमंडल अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली की रिक्त दुकानों की नई अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक 09.09.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/2015 को विलोपित किया जाता है। वैसे आवेदक जो पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र अनुमंडल कार्यालय, दानापुर में जमा कर चुके हैं, वे पुनः नये सिरे से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन पत्र जमा करेंगे। पूर्व के सभी आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं।

01 आवेदन पत्र जमा करने की विधि एवं फार्म:– पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन–पत्र व्यक्ति से विहित अनुसूची–01 तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ से विहित अनुसूची–02 में अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के कार्यालय में दिनांक 10.08.2017 तक कार्यालय अवधि में निर्धारित कॉउंटर पर बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त कराया जा सकेगा। जिस रिक्ति के विरूद्ध आवेदन–पत्र दिया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पर रहना चाहिए। आवेदन प्रपत्र अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। विशेष जानकारी www.prdbihar.gov.in पर देखें।

अनुमंडल पदाधिकारी,
दानापुर

PR. No.- 4705 (Food & Consumer Protection) 2017-18

घूसखोर का क्या जीना- न रात में नींद, न दिन में चैन

निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिनांक–25.07.2017 को प्रकाशन हेतु ज्ञापांक–4583 दिनांक–24.07.2017 द्वारा निर्गमादेश।

HINDUSTAN, PATNA
DAINIK JAGRAN, PATNA